विजय कुमार,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0 -24 /2023
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010
दिनांक:जुलाई26 2023

विषयः क्रि0 मिस0 जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-19021/2023 भूपेन्द्र वफर बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांकित 26.05.2023 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द अधिनियम के अभियुक्तों का पूर्ण आपराधिक इतिहास अंकित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही के दौरान अभियुक्तों का सम्पूर्ण एवं त्रुटिरहित आपराधिक इतिहास अंकित किये जाने तथा इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में इस मुख्यालय स्तर से पार्श्वांकित बाक्स में अंकित परिपत्र पूर्व में निर्गत किये गये हैं किन्तु इन निर्देशों का कमिश्नरेट/जनपद स्तर पर कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

1-पत्र संख्याः डीजी सात एस-14(09)/2021 दिनांकित 01.06.2022,
2-पत्र संख्याः डीजी सात-एस-14(09)/2021 दिनांकित 25.04.2022,
3-डीजी परिपत्र सं0-40/22 दि0 09.12.2022

क्रि0 मिस0 जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-19021/2023 उपरोक्त में दिनांक 26.05.2023 को सुनवाई के दौरान मा0 न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत पूरक शपथ पत्र में उसके विरुद्ध 29 आपराधिक अभियोग पंजीकृत होना कहा गया जबकि गैगचार्ट में अभियुक्त के विरुद्ध केवल एक आपराधिक अभियोग दर्शाया गया है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इस विसंगति पर आपत्ति व्यक्त करते हुए निम्नवत टिप्पणी की गयी है-

> It is apparent from gang-chart that only one case is shown against the applicant, however, criminal history of 29 cases are disclosed by the applicant in the supplementary affidavit. It is highly objectionable that only one case is shown against the present applicant in gang-chart, however, more than 29 cases are disclosed against the applicant. It is also noticed that in many of the cases, while preparing gang-chart, all the cases lodged against the gangster are not disclosed in the gang-chart. It goes to show that the criminal history is not properly maintained by concerned Police Station and later on when the bail application is moved, the criminal history is revealed by learned AGA. It is a serious matter of concern.
>
> Let the letter be sent to the DGP in this regard to direct the S.S.P./S.O. of all the districts to maintain proper criminal history of the accused in Police Station concerned.

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली-2021, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-5203/छः-पु0-9-2021 - 31(43)- 2013 दिनांकित 27.12.2021

.....2

द्वारा प्रख्यापित की गयी है, जो तत्काल प्रभाव से लागू है, जिसमें गैगचार्ट तैयार करने तथा अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास को अंकित करने की स्पष्ट एवं विशिष्ट व्यवस्था दी गयी है, जिसका अनुपालन किया जाना आज्ञापक है।

अभियुक्तों का सम्पूर्ण एवं त्रुटिरहित अद्यावधिक आपराधिक इतिहास मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष उपलब्ध न होने से न्यायालय के समक्ष राज्य का पक्ष प्रस्तुत करने वाले विधि अधिकारियों की स्थिति असहज होती है तथा अभियुक्त इन विसंगतियों का लाभ प्राप्त कर न्यायालय से जमानत प्राप्त करने मे सफल होते है।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रकट की गयी उपरोक्त आपत्ति के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली-2021 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अभियुक्तों का सम्पूर्ण और त्रुटिरहित आपराधिक इतिहास अंकित करना सुनिश्चित करेगे। आपराधिक इतिहास अंकित किये जाने के सम्बन्ध में इस मुख्यालय स्तर से पूर्व में निर्गत परिपत्रों एवं निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये, यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा इन निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता बरती जाती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाये।

भवदीय,

(विजय कुमार)

1. पुलिस आयुक्त,
   कमिश्नरेट-लखनऊ/कानपुर/वाराणसी/गौतमबुद्धनगर/आगरा/गाजियाबाद/प्रयागराज।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—</u>

1. विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था/अपराध),उ0प्र0 लखनऊ।
2. विशेष पुलिस महानिदेशक आर्थिक अपराध शाखा,उ0प्र0 लखनऊ ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक सीबीसीआईडी,उ0प्र0 लखनऊ ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक (रेलवेज), उ0प्र0 लखनऊ।
5. अपर पुलिस महानिदेशक (अभियोजन), उ0प्र0 लखनऊ।
6. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
7. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।